



प्रारूप संख्या एसटीके-6

सार्वजनिक सूचना

{कम्पनी अधिनियम की धारा 248 की उपधारा (2) और उपधारा (4) और कम्पनी (कम्पनी रजिस्टर से कम्पनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 7 के अनुसरण में}

सार्वजनिक नोटिस :ROC/C-PACE/STK-2/248(2)/2024-25/758

दिनांक: -13/08/2024

संदर्भ:

1.कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत निम्नलिखित (12) कम्पनियों का नाम **महाराष्ट्र (आरओसी-पुणे)** राज्य से हटाने के मामले में:

S No.	Work Item	CIN	Hindi Name
1	AA9628583	U21003PN2023OPC225842	विश्वरंग आयुर्वेद (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
2	AA9442377	U20299PN2023PLC226780	अद्वया केमिकल्स लिमिटेड
3	AA9537917	U29309PN2022PTC216758	वंका इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
4	AA9600830	U45203PN2022PTC207876	कृपार्स इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड
5	AA9433694	U74900PN2015PTC154247	कवच एडमिनिस्ट्रेटिव सिन्क्योरिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
6	AA9433687	U74900PN2014PTC151892	ट्रैवेलहे मीडिया प्राइवेट लिमिटेड
7	AA9431817	U01122PN2012PTC144273	कुकडी एगो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
8	AA9663649	U74999PN2021OPC198662	लाइट पॉकेट डील (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
9	AA9459529	U72900PN2019PTC182489	ओजीआईटी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
10	AA9441502	U72900PN2015PTC155818	अत्याधुनिक एप्लीकेशन डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड
11	AA9678304	U74900PN2013PTC149802	श्री एसेस बिजनेस सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
12	AA9627532	U72900PN2010PTC136451	बैचमेट सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड

2. इसके द्वारा यह सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत कम्पनी रजिस्ट्रार को उपर्युक्त कम्पनियों के नाम कम्पनी रजिस्टर से इस आधार पर नाम हटाने का आवेदन प्राप्त हुआ है कि कम्पनी के निगमन के एक वर्ष के भीतर कारोबार आरंभ करने में विफल रहे हैं या इस आधार पर कि कम्पनी पूर्ववर्ती 2 वित्तीय वर्षों से कारोबार नहीं कर पाई है और इस अवधि के भीतर कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 455 के तहत निष्क्रिय कम्पनी की स्थिति प्राप्त करने का आदेश का आवेदन नहीं किया है या कम्पनी ने निष्क्रिय कम्पनी की स्थिति प्राप्त कर ली है, पर वे कम्पनी के रूप में पंजीकरण नहीं रखना चाहते और अतः कम्पनी रजिस्ट्रार से अपना/अपने नाम हटाने का अनुरोध किया है ।

3. तदनुसार, कम्पनी रजिस्ट्रार उपर्युक्त कम्पनियों के नामों को कम्पनियों के रजिस्टर से हटाने का प्रस्ताव करता है

4. यदि किसी व्यक्ति/संस्था को कम्पनी को कम्पनी रजिस्ट्रार से कम्पनियों का नाम हटाने के प्रस्ताव से आपत्ति है तो वह व्यक्ति/संस्था इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 (तीस) दिनों के भीतर उपर्युक्त कार्यालय के पते पर अपनी आपत्ति भेज सकते हैं ।

हरिहर साहू
रजिस्ट्रार
प्रसंस्करण त्वरित कॉर्पोरेट निकास केंद्र

CBC 07123/11/0375/2425